तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **छीतर बनाम छीतर** **(जीसीएमएस नं. 2019/00177) 151/19**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री गजराज कुमार योगी एवं अपीलान्ट संख्या 4 स्वयं उपस्थित जिसकी पहचान बाबत आधार कार्ड नम्बर 5967 6183 1563 की छाया प्रति पेश की गई एवं अपीलान्ट की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट अपनी उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहते है एवं इसी स्तर पर उक्त अपील को विड्रो करना चाहता है इसलिये अपीलान्ट की उक्त अपील को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को विड्रो कर निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते एवं इसी स्तर पर विड्रो कर निरस्त करना चाहते है तो ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ. समित शर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	